

यू.एस. तोमर
कुलसचिव



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ.प्र.-प्राविधिक विश्वविद्यालय)
इंटरीरूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,
सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021
फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : गौ०बृ०प्रा०वि०/कृ०स०का०/२०१२/प्रा० ३२ ७८
दिनांक : १५.८.२०१२

सेवा में,

✓ देशक,

कमला नहेरु इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी,
सुल्तानपुर

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-2012 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2723/सौलह-1-2010-13(13)/2010, दिनांक 19 जुलाई, 2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 30 दिसंबर, 2011 में कमला नहेरु इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर को बी.फार्म. पाठ्यक्रम 60 सीट तथा एम.फार्म.-फार्मासी-कमेट्री-10 सीट, एम.फार्म.-फार्मासी-टेक्नोलॉजी-18 सीट एवं एम.फार्म.-फार्मार्कागणोंजी-18 सीट की की प्रवेश क्षमता के साथ स्वतंत्र प्रोफिट योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों अधीन शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु दिनांक 1-7-2011 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

- संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन/गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी तथा शिक्षण पूर्णिमण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वाढ़ित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यहि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता खतः निरस्त समझी जाएगी।
- संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित यूवी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ.प्र. शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- संस्था द्वारा छात्रों से ली गई फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, अन्यथा संस्था के विस्तृत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुग्रहेन खतः निरस्त हो जायेगा।
- संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने की पश्चात ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2012-13 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्प्रिलित किया जा सकेगा।
- संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकरित्यक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा। उक्त आकरित्यक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- बी.फार्म. पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं नियमतः फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- जिन संस्थाओं की आधातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय खतः से क्रोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
- संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन कियां जायेगा।
- र्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकरित्यक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की रिश्ति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

पृष्ठांक संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हैन् प्रेषितः-

- प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति / श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

RUT
PROFESSOR
Kamla Nehru Institute of
Management & Technology
Muzaffarpur 228118

भवदीय
(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव

RUT
(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव